न्यायालय तहसीलदार, पुष्कर (जिला अजमेर)

प्रकरण संख्या 13 /2022

सरकार जरिये पटवारी हल्का कडैल बनाम श्रीमती मीना कंवर पत्नी किशनसिह जाति राजपूत निवासी 91 वार्ड नं. 09 अंगीरा नगर झोटवाडा जयपुर

(अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956)

निर्णय दिनांक 01.03.2023

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का कडैल तथा भू–अभिलेख निरीक्षक कडैल ने एक रिपोर्ट इस आश्य की पेश की है कि अप्रार्थीया द्वारा संवत् 2079 में ग्राम डूंगरिया खुर्द के खसरा नम्बर 159/686 कुल रकबा 0.10 हैक्टेयर किस्म गै.मु.रास्ता तथा खसरा नम्बर 299 रकबा 0.64 किस्म गै.मु.रास्ता में से क्रमशः 0.05 तथा 0.07 हैक्टेयर में तारबन्दी लगा कर/कब्जा कर अतिक्रमण/अतिचार कर लिया है।

उक्त रिपोर्ट से आश्वस्त होकर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीया को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीया की ओर से दिनांक 11.01.2023 को अधिवक्ता उपस्थित होकर वकालतनामा, जवाब/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब/प्रार्थना के सन्दर्भ में पटवारी हल्का कडैल तथा भू–अभिलेख निरीक्षक कडैल से रिपोर्ट ली गई। प्रकरण मे भू–अभिलेख निरीक्षक कडैल तथा पटवारी हल्का कडैल से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें ग्राम डूंगरिया खुर्द के खसरा नम्बर 159/686 व 299 पर रास्तें व नाले पर अतिक्रमण के विरूद्ध धारा 91 की रिपोर्ट राजस्व मानचित्र व मौके की जांच अनुसार किया जाना तथा प्रार्थीया स्वयं की भूमि का नाप तहसील कार्याल में विधिवत अलग से आवेदन कर राजकीय सीमाज्ञान शुल्क जमा करवाकर करने संबधी कथन किये है।

पत्रावली का अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीया द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण किया है। अतः अप्रार्थीया को वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमी करार दिया जाकर विवादित आराजी से बेदखल किया जाता है तथा भूमि का कब्जा राजहित में लिया जावे। दण्ड स्वरूप वार्षिक लगान कुल 0.36 का 50 गुणा 18/– शास्ति अठारह रूपये कायम की जाती है। शास्ति राशि की वसूली, बेदखली/जब्ती/निलामी की कार्यवाही हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक कडैल एवं पटवारी हल्का कडैल तथा मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 01.03.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार, पुष्कर
(जिला अजमेर)

तहसीलदार
पुष्कर (अजमेर)

Scanned with CamScanner